



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1872/ Type Approval No. 1872

मद/FOR ITEM: टी652 स्थिति में एल्युमिनियम अलॉय एचएफ 15 फोर्जिंग्स/

Aluminium Alloy HF 15 Forgings in T652 condition

यह प्रमाणित किया जाता है कि एएसटीआरए परियोजना, डीआरडीएल, हैदराबाद – 500 058 द्वारा अभिकल्पित, मेसर्स डेकन स्मिथ्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं.16, फेज़-1, आई.डी.ए, मल्लापुर, हैदराबाद – 500 074, द्वारा विकसित एवं उत्पादित, " टी652 स्थिति में एल्युमिनियम अलॉय एचएफ 15 फोर्जिंग्स ", को वायुवाहित मिसाइल्स/वेपन्स के अवयवों निर्माण के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (मेटीरियल्स) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. एएमएस 4133डी और टाइप टेस्ट शेड्यूल सं. आरसीएमए(एम)/140, दिनांक 3 जनवरी 2011, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Aluminium Alloy HF 15 Forgings in T652 condition", designed by Project ASTRA, DRDL, Hyderabad – 500 058 developed and manufactured by M/s. Deccan Smiths Pvt. Ltd., Plot No. 16, Phase – 1, I.D.A Mallapur, Hyderabad – 500 076 is hereby approved for fabrication of components for airborne Missiles/ Weapons. It has been tested as per Governing Technical Specification Doc. No.: AMS 4133D and Type Test Schedule No. RCMA(M)/ 140, Dated: 3rd Jan 2011 in co-ordination with RCMA (Materials). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (मेटेरियल्स), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Materials), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1872
दिनांक/Date : 06 December 2015
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Ranvir
04/12/15

9/12/15

P. Jayapal

पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)